Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A
Crim-I

अदालत: उपखण्ड अधिकारी मोहित पुत्र आशिल — मुकाम: कोटा

नाम मुकदमा: 88, 89, 188 — बनाम: शशिला व अन्य

नं. 119 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
20/11/24	राजस्थान काश्त कारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के अन्तर्गत वाद-पत्र मोहित व आशिल की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश नागर द्वारा प्रस्तुत वाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। जाँच रिपोर्ट समस्त अवलोकन की गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. / तहसीलदार प्रेषित कर तलब किया जावें। पत्रावली तलबी वास्ते दिनांक 2/12/24 को पेश हो।	मध्यानन्तरी ओमप्रकाश नागर
2/12/24	पत्रावली पेश हो। वादी पक्ष उपस्थित। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र लोक अदालत की भावना से वाद को विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु पेश हुआ, जो शामिल पत्रावली हो। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। चूँकि वादी उपरोक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। प्रकरण में कोई राजहित नहीं होने से प्रार्थना पत्र वाद को विड्रो किया जाना स्वीकार कर हस्तगत प्रकरण ऐज-विड्रो खारिज किया जाता है। पत्रावली नं0 से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	